

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 4503 / 2024

रंजना पाण्डया

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन—सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा, राज.।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.12.2024

आदेश की दिनांक : 15.01.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक—1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा ब्लॉक बांसवाड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Chackota, ब्लॉक बांसवाड़ा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान के निकट अन्य विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण दूरस्थ विद्यालय में किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना—पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश से प्रकट

होता है कि अपीलार्थी को ब्लॉक बांसवाड़ा से स्थानांतरण/पदस्थापन कर उसी ब्लॉक में रखा गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को दूर स्थानांतरित किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकताओं में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय विधि-विरुद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष